



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
मेखराज पुत्र किरदारम मेघवाल जिमिना		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	324/2021	GCMS No. 2021/1121
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/2021	<p>वादी श्री मेखराज पुत्र किरदारम जाति मेघवाल निवासी जिमिना द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चन्दपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2073-2074 ग्राम जिमिना पटवार मण्डल जिमिना के खाता नम्बर 132 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि मेखराज पुत्र किरदारम दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम मेखराज पुत्र किरदारम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरुप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 7866 7230 3682 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज PAN card AM TPL 3036E की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी जिमिना भू.अ.नि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
		1324-1376
		  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)